



जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यान नगर, छपरा -841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No:- A/c Pen-3.18

Date:- 13-01-2022

सूचना (पेंशन आदालत के आयोजन के संबंध में)

विदित हो कि पत्रांक 5111 F.O. दिनांक-27.11.2021 के द्वारा अधिसूचित पेंशन आदालत का आयोजन दिनांक 19.01.2022 को सीनेट हॉल में होना था, परन्तु कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुपालन में आगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।


13/01/2022
वित्त पदाधिकारी

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।



जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार ; भारत,

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.-A/c.Pem.:317

Dated:- 07.01.2022

सूचना

विश्वविद्यालय के ऐसे पेंशनभोगी जो दूर-दराज जगहों पर रहते हैं या अस्वस्थता या अन्य कारणों से स्वयं उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर सकते उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर यह विनिश्चय किया गया है कि इस संबंध में कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

अतः सभी पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में निम्न आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।


1. जीवन प्रमाण-पत्र आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा पेंशनभोगी द्वारा हस्ताक्षरित मूल रूप में पी0 पी0 ओ0 की छाया प्रति के साथ विश्वविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
2. डाक के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण-पत्र आवेदन को संबंधित बैंक के ब्रांच जहाँ से पेंशन आहरित किया जाता है, के शाखा-प्रबंधक या संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या किसी राजपत्रित अधिकारी (जैसे-सरकारी डॉक्टर, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि) से उनके मोबाईल नं0 दर्ज करते हुए सत्यापित/अभिप्रमाणित कराना आवश्यक होगा। इसके उपरान्त ही इसे जमा किया जा सकता है।
3. पेंशनर, जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपने जीवन प्रमाण-पत्र को रजिस्टर्ड कर उसके प्रिंट-आउट को निकालकर एवं हस्ताक्षर कर जीवन-प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करते हुए डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
4. डाक के माध्यम से जीवन-प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय के कुलसचिव या वित्त पदाधिकारी के पते पर भेजा जा सकता है।

नोट:- यह ध्यान रख जाना चाहिए कि:-

- (क) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, छाया प्रति में तथा पी0 पी0 ओ0 की छाया प्रति संलग्न किए बिना जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ख) डाक के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र को भेजते समय उपर्युक्त पैरा- 2 में वर्णित निर्देशानुसार सत्यापित/अभिप्रमाणित कराना आवश्यक होगा।
- (ग) जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2022 होगी।
इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव माननीय कुलपति महोदय
 2. कुलसचिव
 3. वित्त परामर्शी
 4. वित्त पदाधिकारी
- } सूचनार्थ प्रेषित।


07.01.2022
पेंशन अधिकारी
वित्त विभाग
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, सारण।